राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 847/2017, 848/2017, एवं 849/2017.....जिला–जयपुर.....

उनवान : मैसर्स रोजमर्टा टेक्नोलोजीस लि., अजमेर रोड, महात्मा गांधी नगर, जयपुर

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/05/2017	**खण्डपीठ कैम्प जयपुर** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के क्रमांक **एस–22/एए–1/स्थगन/17–18, एस–23/एए–1/स्थगन/17–18, एस–24/एए–1/स्थगन/17–18** में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 13.02.2016 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी फर्म द्वारा स्मार्ट कार्ड का विक्रय किया जाता है। वक्त सर्वेक्षण जॉच के क्रम में वांछित सूचनाऐं प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम की धारा 75(1) के तहत् अभियोजन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज, शास्ति एवं अपीलार्थी द्वारा चाहे गये स्थगन का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–	

अपील संख्या	अवधि	आरोपित कर	ब्याज	शास्ति	अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया स्थगन	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4	5	6	7
847/17	2013–14	2,42,383	99,377	4,84,766	**6,55,650**	**1,70,876**
848/17	2014–15	40,16,444	11,64,769	80,32,888	**1,06,23,500**	**25,90,601**
849/17	2015–16	46,65,613	7,93,154	93,31,226	**1,20,60,610**	**27,29,383**

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री एम.के.गॉधी तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनने, सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 847/2017, 848/2017, एवं 849/2017.....जिला–जयपुर.....

उनवान : मैसर्स रोजमर्टा टेक्नोलोजीस लि., अजमेर रोड, महात्मा गांधी नगर, जयपुर

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/05/2017	–: 2 :– अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–7** में अंकित है, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में दो व्यवसाईयों की सामान्य जमानत प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	